पी0 सक्सेना कुलसचिव

महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय

सी—22, सैक्टर—62, नोएडा (उ०प्र0) —201301 फोन:- 0120-2400416, 2472702, फैक्स-0120-2400418

पत्रांक संख्या : एम०टी०यू० / कुलसचिव कार्यालय / 2011 / 75 5

दिनांक : अक्टूबर 3,2011

सेवा में,

निदेशक,

ए०बी०ई०एस० इजींनियरिंग कालेज, गाजियाबाद

विषय :- संस्था को शैक्षिक सत्र 2010-11 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्याःगौठबुठप्राठिवेठ कुलठकाठ / 2011 / 59392 दिनॉक 28.02.2011 के द्वारा, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) एवं उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2010 एव अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद के पत्र संख्या Northern Region/1-6248771/2010/EOA दिनांक 23.08.2010 एवं शासन एवं माहामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर की कार्यपरिषद की पूर्वानुमित से कार्यपरिषद द्वारा अपनी बैठक 24.02.2011 के सापेक्ष में ए०बी०ई०एस० इजींनियरिंग कालेज, गाजियाबाद के अर्न्तगत निम्न पाठ्यक्रमों को—

1	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी०	120 सीट
2	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन इंजी	120 सीट
3	इनफारमेशन टेक्नोलाजी	60 सीट
4	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स	120 सीट
5	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	90 सीट
6	एम०टेक (कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी०)	18 सीट
7	एम0टेक (इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन इंजी)	18 सीट
8	एम0बी0ए0	्60 सीट
9	एम०सी०ए०	60 सीट

उनके सम्मुख अंकित प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2010–11 हेतु सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है :--



- 1. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन/उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय/महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किये गये दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेंगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं / विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन / विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
- 3. संस्था से एक माह के अन्दर, संस्था में कार्यरत शिक्षकों की सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ०प्र० शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
- 4. संस्था द्वारा महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर को अपनी वेबसाइट पर यह सूचना उपलब्ध करायी जायेगी कि उनके द्वारा छात्रों से क्या फीस ली गयी है, अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- 5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- 6. संस्था में पायी गयी किमयों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् 2011—12 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
- 7. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकिस्मक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकिस्मक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई किमयाँ नहीं है, संस्था द्वारा सूनिश्चित किया जायेगा।
- 8. जिन संस्थाओं की अभातिशप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्था(ओं) की सम्बद्धता तद कार्यवाही के अधीन होगी।
- 9. प्रश्नगत संस्था द्वारा प्रवेश में उ.प्र. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।



उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकिस्मक निरीक्षण में किसी प्रकार की किमयाँ पायी जाने/विचलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1. प्रमुख सचिव, कुलाधिपति / श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन, लखनऊ।
- 2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- 4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।
- 5. गार्ड फाइल।

(पी0सक्सेना) कुलसचिव